	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 05, मंगलवार, *शाके* 1941–नवम्बर 26, 2019 *Agrahayana 05 Tuesday, Saka 1941–November 26, 2019*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

आदेश

जयपुर, अगस्त 26, 2019

संख्या भू.अ./ई-3/2019/12607 :-संयुक्त शासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक प.9(18) राज-6/18/13 जयपुर, दिनांक 15.03.2018 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार उन मामलो में जहां कुछ खसरे सम्बंधित ग्राम की सीमा के अन्दर स्थित न होकर अन्य निकटवर्ती ग्राम की सीमा में स्थित है, वहां धारा 16 के खण्ड (ख) के अधीन ग्राम की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्तियां जिला कलक्टर को अपने-अपने अधिकारिता के क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु प्रत्यायोजित की गई है ।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के नक्शों के डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया में तहसीलदार कोटपूतली के पत्रांक 2411 दिनांक 05.08.2019 द्वारा DILRMP कार्यक्रम के तहत प्राप्त प्रस्ताव अनुसार तहसील पावटा के राजस्व ग्राम तुलसीपुरा के खसरा नं. 3724/2860 रकबा 0.88 हैक्ट. एवं लगान शून्य को ग्राम गुढा तहसील पावटा में सम्मिलित करने की स्वीकृति नीचे अंकित सूची के अनुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है । उक्तानुसार रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

ग्राम तुलसीपुरा से ग्राम गुढा में जाने वाले खसरा नम्बरान की सूचीः-

हाल खसरा नम्बर ग्राम तुलसीपुरा का विवरण			प्रस्तावित खसरा नम्बर ग्राम गुढा का विवरण	
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट में)	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट में)
1	3724/2860	0.88	3724/2860	0.88

उपरोक्तानुसार संशोधन के पश्चात उक्त ग्रामों की स्थिति निम्नानुसार रहेगीः-

नाम ग्राम	वर्तमान में ग्राम की स्थिति			प्रस्तावित संशोधन के बाद ग्राम की स्थिति		
	खसरा	रकबा (हैक्ट में)	लगान	खसरा	रकबा (हैक्ट में)	लगान
तुलसीपुरा	697	300.01	2911.38	696	299.13	2911.38
गुढा	235	105.99	1252.33	236	106.87	1252.33

जगरूप सिंह यादव,

जिला कलक्टर जयपुर।

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR AND DISTRICT MEGISTRATE, JAIPUR

ORDER

Jaipur, August 26, 2019

S.No./L.R./E-3/2019/12607 .-In exercise of the powers conferred by notification on dated 15-3-18 letter no. p-9(18)raj-6/18/13 jaipur, by Joint secretary, revenue department (group-6) government of rajasthan, by clause (A) of sub-section (1) of section 260 of rajasthan land revenue Act 1956 (rajasthan Act no. 15 of 1956), in those cases where certain khasras not situated inside the related village boundary it is situated in the border of the nearby village where under clause (B) of section 16 powers of change the boundaries of village delegated to the district collector for the use in their jurisdiction.

Under the said provisions in the process of digitizing of maps of revenue villages, recommendation through DILRMP program received from Tehsildar Kotputali by letter no.2411 dated 05.08.2019, as received recommendation khasra no. 3724/2860 area 0.88 hectare and land revenue zero Rs. of revenue village Tulsipura of tehsil Pavata to be included in village Guda of tehsil Pavata. Approval is provided according to the list given below. According to this the said record should be maintained.

List of khasra numbers to be included in village Guda from village Tulsipura :-

Present khasra no. of village Tulsipura			Recommended khasra no. of village Guda	
s.no.	Khasra no.	Area (hectare)	Khasra no.	Area (hectare)
1.	3724/2860	0.88	3724/2860	0.88

After modification in record position of said villages are as follows:-

Name of village	Position of the village at present			Village position after recommended modification		
	Khasra	Area (hectare)	Land revenue	Khasra	Area (hectare)	Land revenue
Tulsipura	697	300.01	2911.38	696	299.13	2911.38
Guda	235	105.99	1252.33	236	106.87	1252.33

JAGROOP SINGH YADAV,
DISTRICT COLLECTOR
JAIPUR.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।